रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938
No. 771] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10 , 1938

दिल्ली विकास प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

का.आ. 1257(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेषन विनियम (संषोधन 2015)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में जैव–वैविध्य स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण, परीक्षण और उनकी पारिस्थितिकीय, सौन्दर्यपरकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रबंधन के लिए, अधिनियम की धारा 5–क के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेशन की स्थापना की है। फाउन्डेशन के कार्य इन विनियमों के अंतर्गत शासित होंगे –

ये संशोधित विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

परिभाषाएंः

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अथवा अर्थ के अनुसार, कुछ भी असंगत न हो :–

- ''अधिनियम'' का अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है।
- ''प्राधिकरण'' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।
- ''दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेशन'' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 5–क के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा गठित समिति से है।
- ''सदस्य'' का अभिप्राय दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेशन के सदस्यों से होगा।
- ''माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली'', दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेशन के अध्यक्ष होंगे।
- ''उपाध्यक्ष'', दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेशन के उपाध्यक्ष होंगे।

दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेषन के लिए उप–विधि

0.1 नामः

फाउन्डेशन का नाम 'दिल्ली जैव–वैविध्य फाउन्डेशन' होगा, जिसे इसमें आगे 'फाउन्डेशन' कहा गया है।

0.2 कार्यालयः

फाउन्डेशन का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन.सी.टी.डी.) में स्थित होगा।

0.3 लक्ष्य और उद्देश्य:

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समाज के लिए पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व रखने वाले जैव–वैविध्य पार्कों और अन्य प्राकृतिक विरासत विशेषताओं/परिसम्पत्तियों के संरक्षण, पुनरुद्धार और विकास के लिए नीति बनाना और प्रबंधन करना ।

(ii) विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों को उनके पौधे, पशु और सूक्ष्म जैवीय समुदाय सहित पुनरुद्धार और प्रतिवलित करना।

(iii) बाढ़ की संभावना वाले मैदानों, नम भूमियों के पच्चीकारी (मोजेक) वाले ऐसे वनों का विकास करना, जो पक्षी अभयारण्य के रूप में कार्य करे और जलाशयों की गाद को रोकने, जल शुद्धिकरण और भूमिगत जल के पुनर्भरण (रिचार्ज) के अतिरिक्त जलीय आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करते हों।

(iv) लुप्त होती वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ विशेष प्रकार के पत्थरों की प्रजातियों और लुप्तप्राय अन्य प्रजातियों का संरक्षण करना।

(v) किसी भी पर्यावास के जैव–वैविध्य को परिरक्षित करना, जिसके अब और भविष्य में शहरी विकास के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना हो।

(vi) लुप्तमान थलचर प्रजातियों और जंगली आनुवंशिक संसाधनों के लिए फील्ड–जीन बैंकों का सृजन करना।

(vii) पर्यावरणीय जागरूकता और प्राकृतिक संरक्षण की शिक्षा को बढ़ावा देना।

(viii) अल्पावधि और दीर्घावधि पारिस्थितिक तंत्र अनुसंधान को शुरू करना और बढ़ावा देना।

(ix) पारिस्थितिक–पर्यटन को बढ़ावा देना।

(x) नगर की पर्यावरणीय सम्पत्तियों जैसे, नदी–मुहाना, रिज, नगर वनों, मुख्य नालों के किनारों इत्यादि की अभिरक्षा और सुधार करना।

(xi) शहर में जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के उद्देश्य हेतु कार्य करना।

(xii) प्रकृति के संरक्षण और संपोषण द्वारा शहर में जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण तथा पारिस्थितिक के संबंध में दि.वि.प्रा. के उद्देश्यों को पूरा करना।

0.4 फाउन्डेशन का गठन:

फाउन्डेशन के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1.	माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली	—अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	—उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे., दिल्ली	—सदस्य
4.	कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उनके नामित व्यक्ति	—सदस्य
5.	अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
6.	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	—सदस्य
8.	निदेशक, सी.ई.एम.डी.ई.	—सदस्य
9.	आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.	—सदस्य
10.	सचिव (पर्यावरण एवं वन) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार	—सदस्य
11.	जैव–वैविध्य सलाहकार	—सदस्य
12.	जैव–वैविध्य विशेषज्ञ (वैज्ञानिक प्रभारी)	—सदस्य
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	—सदस्य
14.	मुख्य विधि सलाहकार	—सदस्य
15.	आयुक्त (कार्मिक)	—सदस्य
16.	मुख्य लेखा अधिकारी	—सदस्य
17.	निदेशक (भू–दृश्य), दि.वि.प्रा.	—सदस्य
18.	अपर आयुक्त (भू–दृश्य)	—सदस्य–सचिव

इसके अतिरिक्त फाउन्डेशन में जैव–वैविध्य, पर्यावरण, भू–दृश्य वास्तुकला, वन्य प्राणी जीव विज्ञान के क्षेत्र के पाँच विशेषज्ञ सदस्य होंगे और विख्यात नागरिकों में से दो सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

0.5 फाउन्डेशन के कार्य:–

फाउन्डेशन निम्नलिखित कार्य करेगा :

(क) राजधानी नगर के क्षेत्र में जैव–वैविध्य स्थलों के पारिस्थितिक तंत्र, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक कोटि के सृजन, सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण अथवा प्रतिधारण के लिए विनियमों के अंतर्गत आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों, संशोधनों अथवा छूटों के संबंध में तथा अन्य संबंधित मामलों में प्राधिकरण को सलाह देना।

(ख) समाज के लिए बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सौन्दर्यपरक और मनोरंजनात्मक लाभ वाले जैव—वैविध्य के संरक्षण के लिए जैव—वैविध्य पार्कों की स्थापना। ये स्थल अल्पावधि और दीर्घावधि अनुसंधान के लिए प्रकृति रिजर्व और फील्ड प्रयोगशालाओं के रूप में भी कार्य करेंगे।

(ग) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आबंटित फंड के उपयोग करने की शक्ति होना।

(घ) जैव—वैविध्य पार्कों की योजना, डिजाइन, विकास और प्रबंधन के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति के जैसे कार्य करना।

(ङ) प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर यथा निर्णीत अन्य कार्य करना।

0.6 फाउन्डेषन की बैठकः—

फाउन्डेशन की बैठकों का आयोजन कम से कम छः महीने में एक बार अवश्य किया जाएगा। फाउन्डेशन को अपनी कार्यपद्धति विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। सदस्य—सचिव बैठकों का रिकॉर्ड रखेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

0.7 फाउन्डेषन के अध्यक्ष की षक्तियाँः—

अध्यक्ष को, इन विनियमों की रूपरेखा के अंतर्गत उपयुक्त समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तथापि, ये कार्रवाई फाउन्डेशन की आगामी बैठक की पुष्टि पर आधारित होगी।

0.8 फाउन्डेषन के उपाध्यक्ष की षक्तियांः—

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समन्वय में कार्य करेंगे और फाउन्डेशन के सामान्य कार्यों को देखेंगे।

0.9 फाउन्डेषन के सदस्य सचिव की षक्तियांः—

सदस्य सचिव, फाउन्डेशन के कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करेंगे।

10. समिति का गठन :

क). कार्यकारिणी

फाउन्डेशन के दिन—प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	—	अध्यक्ष
2.	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	—	सदस्य
3.	अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	—	सदस्य
4.	निदेशक, सी.ई.एम.डी.ई.	—	सदस्य
5.	जैव वैविध्य विशेषज्ञ / जैव वैविध्य पार्कों के वैज्ञानिक प्रभारी	—	सदस्य
6.	जैव वैविध्य सलाहकार	—	सदस्य
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	—	सदस्य
8.	मुख्य विधि सलाहकार	—	सदस्य
9.	आयुक्त (कार्मिक)	—	सदस्य
10.	मुख्य लेखा अधिकारी	—	सदस्य
11.	अपर आयुक्त (भू—दृश्य), दि.वि.प्रा.	—	सदस्य—सचिव
12.	उपाध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो सहयोजित विशेषज्ञ	—	सदस्य

कार्यकारिणी फाउन्डेशन द्वारा उसे दी जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(ख) फाउन्डेशन, फाउन्डेशन के उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और अन्य पहलुओं पर सलाह देने के लिए, विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों वाली एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकता है।

(ग) इसके अतिरिक्त फाउन्डेशन, फाउन्डेशन द्वारा समय—समय पर चलाई जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की देखरेख एवं निष्पादन के लिए आवश्यक समझी गई किसी अन्य समिति का गठन कर सकता है।

11. बजट, वित्त एवं लेखा :

I. फाउन्डेशन की स्थापना और उसके प्रचालन कार्यों पर होने वाला व्यय, दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुदान और भारत सरकार, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदान और ऋण इत्यादि से पूरा किया जाएगा।

II. जैव वैविध्य फाउन्डेशन के संबंध में बजट अनुमान और संशोधित बजट अनुमान को संबंधित क्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे बजट अनुभाग / मुख्य लेखा अधिकारी के माध्यम से इसके अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

III. जैव वैविध्य फाउन्डेशन खाते से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों और भुगतान के रिकॉर्ड के लिए बैंक में एक अलग खाता खोला जाएगा।

IV. प्राधिकरण द्वारा नामित मुख्य अभियंता जैव वैविध्य डिवीजन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। संबंधित केन्द्रीय लेखा इकाई (सी.ए.यू.) में तैनात वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैव

वैविध्य पार्कों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी होंगे तथा वे वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा., द्वारा नियुक्त किए गए उप मुख्य लेखाधिकारियों के अंतर्गत कार्य करेंगे।

12. **खातों का परिचालन :**

फाउन्डेशन का खाता वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. द्वारा केन्द्रीय लेखा इकाई में नियुक्त किए गए लेखाधिकारियों/वरिष्ठ लेखाधिकारियों/उप मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा परिचालित किया जाएगा।

13. **व्यय करने की षक्तियां :**

फाउन्डेशन को, फाउन्डेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय–समय पर ऐसे व्यय संस्वीकृत करने की शक्तियां होंगी, जो वह आवश्यक समझें।

14. **फाउन्डेषन का स्टाफ :**

दिल्ली वैविध्य फाउन्डेशन में तैनात सभी लिपिक वर्गीय स्टाफ, लेखा स्टाफ तथा अभियांत्रिकी स्टाफ दि.वि.प्रा. के स्टाफ में से होंगे। विद्यमान जैव वैविध्य पार्कों की योजना, डिजाइनिंग, विकास और प्रबंधन में लगे हुए भू–दृश्यांकन स्टाफ सहित वर्तमान वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सहायक स्टाफ पर विधि तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मानदण्डों के अनुरूप नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

15. **लेखा परीक्षा :**

फाउन्डेशन के खातों की लेखा परीक्षा, दि.वि.प्रा. अधिनियम, 1957 के अनुसार कराई जाएगी।

16. **बैठकों में भाग लेने के लिए फीस :**

फाउन्डेशन की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को समय–समय पर यथा निर्णीत फीस दी जाएगी।

17. **विवाद :**

किसी भी विवाद पर उपराज्यपाल, दिल्ली जो फाउन्डेशन के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा।

18. **विधिक कार्यवाही :**

फाउन्डेशन के विरुद्ध कोई भी मुकदमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा।

19. **दि.वि.प्रा. अधिनियम, 1957 प्रयोज्यता :**

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

20. **निरसन और बचाव :**

इन उप–विधियों के प्रारंभ होने की तिथि को और तिथि से, फाउन्डेशन को शासित करने वाले सभी मौजूदा नियम निरस्त हो जाएंगे, किंतु फाउन्डेशन के लिए पहले से की गई कार्रवाई पर, उक्त निरस्ती (रिपील) का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[पी.ए./निदेशक (भू–दृश्य)/डी.डी.ए/2016/179]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

S.O. 1257(E).— In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development authority hereby makes, with the previous approval* of the Central Government the following regulations, namely :-

DELHI BIODIVERSITY FOUNDATION REGULATIONS (AMENDMENTS 2015)

With a view to safeguard, conserve, preserve and manage the ecological, aesthetical and cultural values of Biodiversity sites in the National Capital Territory of Delhi, the Delhi Biodiversity Foundation is set up by Delhi Development Authority in exercise of its powers under section 5-A of the Act. The functions of the Foundation will be governed under these Regulations –

The amended Regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS:

In these regulations unless there is anything inconsistent with the context of meaning:—

- "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).
- "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under section 3 of the Act.
- "Delhi Biodiversity Foundation" means the Committee constituted by the Authority under section 5-A of the Act.
- "Members" shall mean the members of the Delhi Biodiversity Foundation.
- "The Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi shall be the Chairman of the Delhi Biodiversity Foundation.
- "Vice chairman" of the Delhi Development Authority shall be the Vice Chairman of the Delhi Biodiversity Foundation.

BYE LAWS FOR THE DELHI BIODIVERSITY FOUNDATION

01. NAME:

The name of the Foundation shall be 'Delhi Biodiversity Foundation' hereinafter called 'Foundation'.

02. OFFICE:

The office of the Foundation shall be located in the National Capital Territory of Delhi (NCTD).

03. AIMS AND OBJECTIVES:

(i) To frame policies for, and manage the conservation, regeneration and development of the Biodiversity Parks and other natural heritage features/assets having ecological, cultural and educational significance for the society in the National Capital Territory of Delhi.

(ii) To regenerate and replicate the various ecosystems together with their plant, animal and microbial communities.

(iii) To develop floodplain forests together with a mosaic of wetlands that serve as bird sanctuaries and preserves aquatic genetic resources besides prevention of siltation of reservoirs, water purification and recharging of ground water.

(iv) To conserve vanishing flora and fauna including the keystone species and other species that are threatened.

(v) To preserve the Biodiversity of any habitat that is likely to be used for urban development now and/or in future.

(vi) To create field gene banks for the threatened land races and wild genetic resources.

(vii) To promote education on environmental awareness and nature conservation.

(viii) To undertake and promote short and long term ecosystem research.

(ix) To promote Eco-tourism.

(x) To protect and improve environmental assets of the city such as riverfront, ridge, city forests, banks of major drains etc.

(xi) To work for the purposes of amelioration and protection of environment to maintain quality of life in the city.

(xii) To fulfill the objectives of DDA with respect to Environment and ecology and quality of life in the city through conservation and sustenance of nature.

04. CONSTITUTION OF THE FOUNDATION:

The Constitution of the Governing Body of the Foundation shall comprise of the following members:

1.	Hon'ble L.G., Delhi	—Chairman
2.	Vice-Chairman, DDA	—Vice-Chairman
3.	Chief Secy., NCTD	—Member
4.	Vice-Chancellor, Delhi University or his nominee	—Member
5.	Engineer Member, DDA	—Member

6.	Finance Member, DDA	—Member
7.	Joint Secretary, MOUD, GOI	—Member
8.	Director, CEMDE	—Member
9.	Commissioner (Plg.), DDA	—Member
10.	Secretary (Environment & Forests) GNCTD	—Member
11.	Biodiversity Advisor	—Member
12.	Biodiversity Expert (Scientist-in-charge)	—Member
13.	Chief Executive Officer	—Member
14.	Chief Legal Advisor	—Member
15.	Commissioner (Pers.)	—Member
16.	Chief Accounts Officer	—Member
17.	Director (Landscape), DDA	—Member
18.	Additional Commissioner (LS)	—Member Secretary

In addition the Foundation shall have five expert members in the fields of Biodiversity, Environment, Landscape Architect, Wildlife Biology and two members among renowned citizens nominated by the Chairman.

05. FUNCTIONS OF THE FOUNDATION:

The Foundation shall perform the following functions:

a) Advise the Authority in respect of any alterations, modifications or relaxations under the regulations as may be considered necessary for creation, protection, conservation, preservation or retention of ecological systems, aesthetical and cultural quality of any biodiversity sites in the area of the capital city, and related matters.

b) Establishment of Biodiversity Parks for conservation of Biodiversity having ecological, cultural, educational, aesthetical and recreational benefits for the society at large. Such sites will also serve as Nature Reserves and Field Laboratories for short and long-term research.

c) To have power of utilization of funds allocated by the authority to meet its objectives.

d) To serve as an expert committee under the Delhi Development Act, 1957 for planning, designing, development and management of Biodiversity Parks.

e) To perform any other functions as may be decided by the Authority from time to time.

06. MEETING OF THE FOUNDATION:

The meetings of the Foundation shall be held at least once in six months. The Foundation shall have the power to regulate its own procedure. Member Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow-up actions.

07. POWERS OF THE CHAIRMAN OF THE FOUNDATION:

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However they shall be subject to the confirmation of the Foundation in its next meeting.

08. POWERS OF THE VICE CHAIRMAN OF THE FOUNDATION:

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the Foundation.

09. POWERS OF THE MEMBER SECRETARY OF THE FOUNDATION:

The Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Foundation.

10. CONSTITUTION OF THE COMMITTEES:

(a) Executive Committee

For smooth day to day functioning of the Foundation there shall be an Executive Committee comprising of the following members:

1.	Vice-Chairman, DDA	—	Chairman
2.	Finance Member, DDA	—	Member
3.	Engineer Member, DDA	—	Member
4.	Director, CEMDE	—	Member
5.	Bio-diversity Expert /Scientist-in-charge of Bio-diversity Parks	—	Member
6.	Bio-diversity Advisor	—	Member
7.	Chief Executive Officer	—	Member
8.	Chief Legal Advisor	—	Member
9.	Commissioner (Pers.)	—	Member
10.	Chief Accounts Officer	—	Member
11.	Addl. Commissioner (LS), DDA	—	Member Secretary
12.	Two Co-opted experts nominated by Vice-Chairman	-	Members

The Executive committee will exercise such powers as may be delegated to it by the Foundation.

(b) The Foundation may constitute a Technical Advisory Committee comprising of experts and eminent citizens to render advice on different projects and other aspects pertaining to the objectives and functions of the Foundation.

(c) The Foundation may, in addition constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the Foundation from time to time.

11. BUDGET, FINANCE AND ACCOUNTS:

I. The expenses for setting up the Foundation and its operational activities shall be made by the Delhi Development Authority Grants and Loans given by Govt. of India, G.N.C.T.D./Local Bodies and donations, etc.

II. The Budget Estimates and Revised Budget Estimates in respect of Bio-diversity Foundation shall be submitted by the respective Zonal Dy. CAOs to CAO & the same shall be placed before the Authority for its approval through Budget Section/CAO.

III. Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to Biodiversity Foundation account.

IV. The Chief Engineer nominated by Authority shall be the Chief Executive Officer of the Biodiversity Division.

Senior A.O/A.O posted in respective Central Accounting Unit (CAU) will be Drawing and Disbursing Officers of the Bio-diversity Parks under their jurisdiction and they will work under the respective Dy. CAOs posted by Finance Member, DDA.

12. OPERATION OF ACCOUNTS:

The accounts of the Foundation shall be operated by A.Os/ Sr.A.Os/Dy.C.A.Os posted in CAUs by the Finance Member, DDA.

13. POWER TO INCUR EXPENSES:

The Foundation shall have the powers to sanction such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the Foundation.

14. STAFF OF THE FOUNDATION

All Ministerial staff, Account staff and Engineering staff will be posted in the Delhi Biodiversity Foundation out of DDA's staff. The existing Scientific, Technical and Supporting staff including Landscape staff engaged in the planning, designing, development and management of existing Biodiversity Parks shall be considered for regularization in accordance with law and D.O.P.T norms.

15. AUDIT:

The Audit of Accounts of the Foundation shall be conducted as per the DDA Act, 1957.

16. FEES FOR ATTENDING MEETINGS:

The non-official members will be paid fees as may be decided from time to time for attending the meetings of the Foundation.

17. DISPUTES:

The decision of the Lt. Governor Delhi who is the Chairman of the Foundation on any dispute shall be final.

18. LEGAL PROCEEDINGS:

No suit against the Foundation shall lie in any Court outside the NCT Delhi.

19. APPLICABILITY OF DDA ACT, 1957:

The provisions of the Delhi Development Act, 1957 as amended from time to time will apply.

20. REPEAL AND SAVING:

On and from the date of commencement of these bye-laws, all existing rules governing the Foundation shall stand repealed provided that the above repeal shall not affect the actions already taken for the Foundation.

[PA/Dir.(LS)/DDA/2016/179]

D. SARKAR, Commr.-Cum-Secy.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.